न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—70/2009/223 (2009/00007)

1. मोहनलाल पुत्र रामसुख, जाति रेगर, निवासी रेगर बस्ती, बड़ी बस्ती, पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर जरिये मुख्तयार आम मक्खनलाल पुत्र हजारीलाल, जाति मेघवाली, निवासी रेगर बस्ती, बड़ी बस्ती, पुष्कर तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सोनीदेवी पत्नि स्व0 आसू, जाति भांभी, निवासी बड़ी बस्ती, पुष्कर तहसील पुष्कर, जिला अजमेर । **(फौत) नाम तर्क**
2. रामपाल पुत्र स्व0 आसू, जाति भांभी,
3. गिर्राज पुत्र शंकरलाल, जाति भांभी,
4. कैलाशचन्द पुत्र शंकरलाल, जाति भांभी,
5. श्रीमती पार्वती पत्नि शंकरलाल, जाति भांभी,
6. श्रीमती निशा पत्नि गिर्राज, जाति भांभी,
   समस्त निवासी बड़ी बस्ती, पुष्कर, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।
8. श्रीमती मन्नी पत्नि स्व0 मदन वास्तविक पुत्र सुवालाल, जाति रेगर, नि0 2/2, पी0एन0टी0 कॉलोनी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर, जिला जोधपुर।
9. दीपक पुत्र स्व0 श्री मदन वास्तविक पुत्र सुवालाल, जाति रेगर, निवासी 2/2, पी0एन0टी0 कॉलोनी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर जिला जोधपुर।
10. अजय पुत्र स्व0 मदन वास्तविक पुत्र सुवालाल, जाति रेगर, नि0 2/2, पी0एन0टी0 कॉलोनी, कमला नेहरू नगर, जिला जोधपुर ।
11. सुरेश पुत्र स्व0 मदन वास्तविक पुत्र सुवालाल, जाति रेगर, नि0 2/2, पी0एन0टी0 कॉलोनी, कमला नेहरू नगर, जिला जोधपुर ।
12. श्रीमती सन्नू पत्नि संदीप पुत्री स्व0 मदन वास्तविक पुत्र सुवालाल, जाति रेगर, निवासी हाउसिंग बोड़ कॉलोनी, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 24.2.2009 अंतर्गत वाद संख्या 41/2006.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट।
2. श्री अशोक माथुर, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 6.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 16.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.2.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नंबर 369 रकबा 0–4–0, 371 रकबा 0–2–0 को हाल खसरा नंबर 535 रकबा 0–6–0 एवं खसरा नंबर साबिक 369 रकबा 0–3–0, 370 रकबा 0–2–0 एवं खसरा नंबर 371 रकबा 0–1–0 के वर्तमान खसरा नंबर 536 रकबा 0–6–0 बने जो ग्राम पुष्कर, उप–तहसील पुष्कर में स्थित है जिसके अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के अनुसार खातेदार आसू पुत्र भैरू जाति भांभी एवं रामसुख पुत्र जेठा, जाति रेगर दर्ज है । उक्त जमाबंदी के अनुसार 1/2 हिस्से के खातेदार वादी के पिता रामसुख एवं 1/2 हिस्सा के खातेदार आसू पुत्र भैरू जाति भांभी दर्ज है कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है । आसू पुत्र भैरू भांभी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है । इसी प्रकार वादी के पिता रामसुख पुत्र जेठा का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस अपीलांट/वादी है । वाद में आगे कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान वर्किंग जमाबंदी में आसु पुत्र भैरू जाति भांभी व मदन पुत्र रामसुख जाति रेगर इंद्राज दर्ज किया गया जिसमें मदन पुत्र रामसुख का वर्तमान वर्किंग जमाबदी में इंद्राज गलत दर्ज किया गया कारण कि रामसुख पुत्र जेठा का पुत्र मदन नहीं है बल्कि अपीलांट/वादी ही है । इस गलत इंद्राज का नाजायज फायदा उठाकर मदन ने विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती निशा को अवैधानिक एवं कूटरचित बैनामे के जरिये खसरा नंबर 535 रकबा 6 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का बेचान कर कर दिया तथा साथ ही खसरा नंबर 536 रकबा 5 बिस्वा की भूमि का इंद्राज बिना किसी आधार एवं अधिकार के भू–प्रबंध विभाग के द्वारा जगदीश प्रसाद ब्राह्मण के नाम दर्ज कर दिया तथा नामांतकरण संख्या 69 दिनांक 17.10.1987 को जगदीश प्रसाद ब्राह्मण के नाम स्वीकृत कर दिया गया । उक्त नामांतकरण संख्या 69 को मान0 राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया । वादी/अपीलांट विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है । अतः वाद में चाहे अनुतोष अनुसार वादी का वाद स्वीकार करे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने अधी0न्याया0 में आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जिसे विद्वान अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर वादी/अपीलांट का संपूर्ण वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित भूमि के खातेदार अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के अनुसार आसू पुत्र भैरू, जाति भांभी 1/2 हिस्सा एवं रामस्वरूप पुत्र जेठा जाति रेगर 1/2 हिस्सा के सहिस्सेदार दर्ज है । रामसुख पुत्र जैठा जो कि वादी/अपीलांट के पिता थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है के वारिस अपीलांट है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में भू–प्रबंध विभाग एवं राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी आधार एवं अधिकार के अंतिम चौसाला जमाबंदी के इंद्राज के विपरीत वर्तमान वर्किंग जमाबंदी में रामसुख पुत्र जेठा के स्थान पर मदन पुत्र रामसुख दर्ज कर दिया जबकि मदन सुवालाल का पुत्र है तथा मदन पुत्र सुवापलाल जाति रेगर दूर संचार विभाग, जोधपुर में मुलाजिम है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी के द्वारा

रामसुख पुत्र जेठा का पुत्र होने के संदर्भ में सजरा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता सूची, पहचान पत्र इत्यादि दस्तावेज पेश किये थे जिसके अनुसार अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट को रामसुख पुत्र जेठा का पुत्र माना है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रामसुख पुत्र जेठा के जब मदन नाम का कोई पुत्र ही नहीं है तो उसे वाद में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी तथा इस आधार पर वाद निरस्त नहीं किया जा सकता था । प्रतिवादी संख्या 6 के विक्रेता मदन पुत्र सुवालाल ने बदनियतिपूर्वक मदन पुत्र रामसुख बनकर प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में फर्जी एवं अवैध बैनामा निष्पादित करा दिया जिसके संबंध में वादी/अपीलांट ने पुलिस थाना पुष्कर में मदन पुत्र सुवालाल के विरूद्ध प्रथम सूचना संख्या 17/2008 दिनांक 22.1.2008 को अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 के दर्ज कराई जिसमें मदन पुत्र सुवालाल को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था । इस प्रकार मदन प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि यदि अधी0न्याया0 मदन को आवश्यक पक्षकार मानती थी तो उस स्थिति में विधिक प्रावधान आदेश 1 नियम 10 (2) जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार स्वंय के स्तर पर बिना आवेदन पत्र के पक्षकार संयोजित कर सकते थे। पक्षकार के अभाव में वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि रामसुख के उत्तराधिकारी की घोषणा का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद के अनुसार संपूर्ण वाद में रामसुख के उत्तराधिकार के संदर्भ में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया था । विवादित आराजी के अपीलांट के पिता 1/2 हिस्से के खातेदार थे जिनके स्वर्गवास के बाद वादी ही रामसुख का एकमात्र पुत्र होकर वारिस है किन्तु वर्तमान जमाबंदी में भू–प्रबंध विभाग ने गलत इंद्राज दर्ज कर दिया जिसकी दुरूस्ती एवं बंटवारे का वाद पेश किया था जो राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का ही है । विधि के सिद्धांत के अनुसार वादपत्र को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है कारण कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार को उस स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जब वाद मियाद बाहर हो, न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं हो, स्टाम्प ड्यूटी अपूर्ण हो, तब ही वाद खारिज किया जा सकता है । यह विधि का सिद्धांत है कि प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब दावा पेश करने के उपरांत वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादी की साक्ष्य ली जाकर वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थ में डब्ल्यू0एल0सी सुप्रीम कोर्ट 2012 (2) पेज 254, आर0बी0जे0 2011 (18) पेज 665 हाई कोर्ट, आर0आर0डी0 2012 पेज 492 हाई कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के वादी/अपीलांट द्वारा अपने आप को रामसुख पुत्र जेठा का पुत्र घोषित कराने बाबत् पेश किया है जो राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर है एवं आवश्यक पक्षकारा मदन को वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किये

जाने से भी वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1983 पेज 197, आर0आर0डी0 1985 पेज 99, आर0आर0डी90 1989 पेज 111 एवं आर0आर0डी0 1991 पेज 209 हेड नोट–सी के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अधी0न्याया0 द्वारा वादी/अपीलांट के घोषात्मक, बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को इस आधार पर निरस्त किया है कि अधी0न्याया0 में वादी द्वारा मदन पुत्र रामसुख को पक्षकार नहीं बनाया है एवं वादी के कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं रामसुख का वारिस मोहनलाल है अथवा मदन को तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, इस कारण वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया है । इस संबंध में आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 में स्पष्ट प्रावधान है कि आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर वाद को निरस्त नहीं किया जाना चाहिये । वादी/अपीलांट द्वारा दौराने अपील मदन के वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 24.3.2015 को स्वीकार कर मदन के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जा चुका है । वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद बाबत् घोषणा व बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । घोषणा के अनुतोष में वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष यह अभिवचन किया है कि वादी रामसुख पुत्र जेठा रेगर निवासी ग्राम पुष्कर का जायंदा पुत्र है तथा वादी के पिता रामसुख पुत्र जेठा का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु विवादित आराजियात चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में रामसुख वल्द जेठा एवं आसू वल्द भैरू सहखातेदार थे, जिसमें वादी के पिता रामसुख का आधा हिस्सा एवं आसू वल्द भैरू जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है का आधा हिस्सा दर्ज है । परन्तु भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा गलत तौर पर वर्किंग जमाबंदी में वादी/अपीलांट के नाम दर्ज न कर मदन के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि मदन के पिता सुवालाल रेगर है जो कि दूरसंचार विभाग, जोधपुर में राजकीय मुलाजिम है एवं विवादित भूमि से मदन पुत्र सुवालाल का कोई संबंध नहीं है परन्तु गलत तौर से विवादित भूमि में वादी के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया इस कारण वाद बाबत् उद्घोषण हक खातेदारी का पेश किया एवं अनुतोष में भी खातेदारी अधिकारो की उद्घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जो कि धारा 40 एवं धारा 207 राज0काश्त0अधि0 के तहत राजस्व न्यायालय को ही सुनवाई का क्षैत्राधिकार है क्योंकि खातेदार उद्घोषणा बाबत् वाद दीवानी न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा अविधिक तौर से वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत निरस्त किया है । जहां तक कब्जे का प्रश्न है आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत भौतिक कब्जे के संबंध में कोई मत प्रकट नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त सभी बिन्दु कानून एवं तथ्यों के मिश्रीत प्रश्न है जो कि जवाबदावा आने के उपरांत विवाद बिन्दू कायम कर एवं पक्षकारान की शहादत के उपरांत ही तय किये जा सकते है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डल्यू0एल0सी0 2012 (2) सुप्रीमकोर्ट पेज 254 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि '' सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम–वादपत्र की अस्वीकृति–सिद्धांत–अस्वीकृति के आदेदन के निर्णय में, केवल वादपत्र के प्रकथन का ही (प्रतिरक्षा के अभिवचन नहीं) ध्यान में रखा जाएगा । ''

7. वाद पत्र के अवलोकन से वादी द्वारा विवादित भूमि खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा एवं बंटवार व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष केवल मात्र राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकता है । वादपत्र के प्रथमदृष्टया अवलोकन से यह कहीं भी जाहिर नही होता है कि वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित हो । प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर अधी0न्याया0 द्वारा विवाद बिन्दु कायम कर तथा शहादत लेने के उपरांत ही उपरोक्त प्रश्न तय किये जा सकते है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है । रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.2.2009 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर विवाद बिन्दु कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 16.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर